बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों की राज्यस्तरीय मासिक बैठक दिनांक–04.09.2013 की कार्यवाही।

1 उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

2 सर्वप्रथम माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बैठक को संबोधित करते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारियों को परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन कार्य की महत्ता पर प्रकाश डाला गया तथा भू–अर्जन कार्रवाई को त्वरित गति से निष्पादन की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। साथ ही, इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि भू–अर्जन की प्रक्रिया के तहत हितबद्ध रैयतों को शत–प्रतिशत मुआवजा भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर किया जाय। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़क परियोजना हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

3 बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने एवं तदनुसार हितबद्ध रैयतों को शत–प्रशित मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गयी।

4 बैठक में निदेशक, भू–अर्जन द्वारा राज्यन्तर्गत चल रहे विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु परियोजनावार एवं जिलावार भू–अर्जन/अधिग्रहण कार्यो के तहत अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी। निदेशक, भू–अर्जन द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि भू–अर्जन की कार्रवाई के अन्तर्गत कोई समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में वे भू–अर्जन निदेशालय से दूरभाष पर संपर्क कर सकते है।

5 बैठक में पुनः इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया धारा–4/6 के तहत भू–अर्जन के प्रस्ताव में खतियान/क्रमिक खतियान एवं नक्शा की प्रति में राजस्व ग्राम का नाम, राजस्व थाना नं0, जिला का नाम, खतियान/नक्शा का वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित रहना चाहिए ताकि यह पता चल सके की खतियान व नक्शा किस सर्वे से संबंधित है।

प्रस्ताव में खेसरा पंजी की सत्यापित प्रति संलग्न रहना आवश्यक है जो क्रमानुसार खेसरा के अनुसार हो तथा परियोजना में अर्जित की जाने वाली भूमि के वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया हो। सर्वेक्षित भूमि में अर्जन किये जाने वाले खेसरा का खतियानी रकवा के साथ–साथ अर्जन में लिए जाने वाले भूमि का प्रस्तावित रकवा/खेसरा का खतियानी किस्म तथा वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान पायी गयी भूमि का वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त खतियान/क्रमिक खतियान/खेसरा पंजी/नक्शा की प्रति सक्षम प्राधिकार के द्वारा सत्यापित एवं अभिप्रमाणित रहना चाहिए।

6 यदि प्रस्तावित अर्जन में खतियान में दर्ज इन्द्राज के अनुसार कोई सरकारी भूमि सम्मिलित हो, जो बन्दोवस्ती के माध्यम से संबंधित रैयतो को प्राप्त हुआ हो, तो उसके सक्षम पदाधिकारी से जमाबंदी कायम किये जाने, इत्यादि की जांच कर संतुष्ट होने के उपरान्त समाहर्त्ता के द्वारा एतद संबंधी प्रतिवेदन के साथ उक्त भू–खण्ड का अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के स्तर पर भेजा जाय।

7 गैरमजरूआ आम/सर्वसाधारण भूमि, इत्यादि के अर्जन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत/मुखिया / जिला परिषद्/धार्मिक न्यास बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण देने हेतु जिला स्तर से पत्र भेजा जाय तथा अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्ताव नियमानुसार सरकार के स्तर पर भेजा जाय।

8 अधियाची विभाग से विधिवत अधियाचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/6 के तहत जिला स्तर पर प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।

9 अधिनियम की धारा–4/6 के तहत सरकार स्तर से स्वीकृति एवं अधिसूचना/अधिघोषणा का समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त 25–30 दिनों के भीतर धारा–7/17(1) के तहत प्रस्ताव गठित कर प्रमंडलीयँ आयुक्त के माध्यम से सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय।

10 अधिनियम की धारा–7/17(1) के तहत स्वीकृति के पश्चात धारा–9 के तहत हितबद्ध रैयतों को नोटिस निर्गत कर आपतियों की सुनवाई के उपरान्त दर निर्धारण की कार्रवाई कर नियमानुसार 80% प्रारम्भिक

राशि का भुगतान हितसंबद्ध रैयतों को संबंधित मौजा में शिविर का आयोजन कर किया जाय तथा अधियाची विभाग/प्राधिकार को धारा–7/17(1) के तहत स्वीकृति की तिथि से 30–45 दिनों के भीतर भूमि का दखल–कब्जा सौपने की कार्रवाई की जाय। यदि उक्त निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी दखल–कब्जा लंबित रहता है तो इसके लिए उचित/वैध कारणों सहित प्रतिवेदन सरकार स्तर पर उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा बिलम्ब के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी/जिम्मेवार माने जायेंगे।

11 **लैंड बैंक** योजना के तहत जिला मुख्यालय हेतु 100.00 एकड़, अनुमण्डल मुख्यालय हेतु 50.00 एकड़ तथा प्रखण्ड मुख्यालय हेतु 30.00 एकड़ भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई के अन्तर्गत सर्वप्रथम जिला एवं अनुमण्डल मुख्यालय हेतु भूमि (रैयती/सरकारी) का चयन कर तत्संबधी प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भर कर (रकवा एवं भू–अर्जन नीति के तहत अनुमानित राशि सहित) एक सप्ताह में भू–अर्जन निदेशालय को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी भू–अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया गया कि लैंड बैंक हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण के लिए अधियाचना प्रपत्र छः प्रतियों में तैयार कर औद्योगिक विकास प्राधिकार, पटना को विशेष दूत से शीघ्र उपलब्ध कराया जाय तथा इसकी सूचना भू–अर्जन निदेशालय को दी जाय।

12 पुनः यह निदेश दिया गया किसी परियोजना का स्थल–चयन का मामला विवादित नहीं हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि भू–अर्जन का प्रस्ताव गठित करने के पूर्व समाहर्त्ता की अध्यक्षता में स्थल–चयन समिति की बैठक निश्चित रूप से कर ली जाय ताकि भविष्य में कोई विवाद न रहे।

13 मुख्यालय द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु जिला से जो पृच्छाएँ की जाती है, उसका अनुपालन फैक्स/ई–मेल/विशेष दूत के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर निश्चित तौर पर किया जाय। ई–मेल के माध्यम से सूचना/प्रतिवेदन भेजने को प्राथमिकता दी जाय।

14 मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय में दायर SLP/MJC/LPA/CWJC, इत्यादि में यथा सम्भव दो सप्ताह के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल किया जाय तथा दायर प्रति शपथ पत्र/कारण पृच्छा की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भू–अर्जन निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाय। इस विषय की साप्ताहिक समीक्षा की जाय तथा उसका भी प्रतिवेदन भेजा जाय।

15 पावरग्रीड/विद्युत उप केन्द्र तथा थर्मल पावर परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को पुनः दिया गया। इस विषयक भू–अर्जन कार्यो में किसी भी समस्या की स्थिति में अविलम्ब निदेशक, भू–अर्जन से दूरभाष पर सर्म्पक करने तथा अवश्यकतानुसार पत्राचार करने का निदेश दिया गया।

16 अधियाची विभाग/प्राधिकार के स्तर पर मुआवजा राशि लम्वित रहने की स्थिति में अधियाची विभाग/प्राधिकार को जिला स्तर से प्रत्येक माह स्मार पत्र निर्गत किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/निदेशक, भू–अर्जन को भी उपलब्ध कराया जाय। इसका अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करने का निदेश सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को पुनः दिया गया।

17 बैठक में उपस्थित सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि भू–अर्जन के प्रस्तावों का पर्यवेक्षण अब NIC के सहायता से निर्मित Management Information System (MIS) के तहत भी किया जा रहा है। इसके संबंध में I.T Manager के द्वारा सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों के साथ डेटा इन्ट्री ऑपरेटरों को प्रशिक्षण पूर्व में दिया जा चुका है तथा User Manual की प्रति भी दी गयी है। सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारियों को रिपोर्ट बनाने एवं पर्यवेक्षण करने हेतु प्रपत्र I , II एवं III के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा चुकी है। पुनः निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित भूमि अर्जन का अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र– I, II एवं III में भरकर प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को भू–अर्जन निदेशालय में नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाय। किसी माह के प्रथम तारीख को अवकाश रहने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

18 **एम0 आई0 एस0** पर प्राप्त प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट हुआ है कि किसी भी जिले द्वारा 100 प्रतिशत भुगतान की स्थिति को अंकित नहीं किया गया है। दखल–कब्जा के वर्षो वाद भी 100 प्रतिशत भुगतान की स्थिति लंबित रहता है, जो खेद का विषय है। इस संबंध में **एम0 आई0 एस0** पर प्रतिवेदन का

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19/11– 2402 /पटना, दिनांक–30/09/2013

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/प्रवंध निदेशक आधार भूत संरचना विकास प्राधिकार, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, गन्ना विकास विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/भागलपुर/मुंगेर/मगध/पुर्णियां/सहरसा/सारण/तिरहुत/दरभंगा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
8. सभी समाहर्त्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
9. सभी अपर समाहर्त्ताओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
11. मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी (निर्माण), पूर्व मध्य रेलवे, महेन्द्रूघाट, पटना।
12. उप मुख्य अभियंता/नि0/भूमि/महेन्द्रूघाट, पटना।
13. प्रवंधक (मानव संसाधन), एन.टी.पी.सी. बाढ़, पटना।
14. उप महाप्रबंधक,(एस0टी0), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, द्वितीय तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001.
15. मुख्य प्रबंधक (बॉका/ लखीसराय), पावरग्रीड कॉरपोरेशन, पॉचवीं तल, अलंकार पैलेस, बोरिंग रोड, पटना–800001.
16. कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय जल विधुत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, विधुत भवन–II, बेली रोड, पटना।
17. उप मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, राजगीर।
18. उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर।
19. उप मुख्य अभियंता, हरनौत रेल कारखाना, पूर्व मध्य रेलवे, नालन्दा।
20. उप मुख्य अभियंता, गंगा ब्रीज, पटना।
21. द्वितीय कमान अधिकारी, 14 वी.एन.एस.एस.वी, जयनगर (मधुबनी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
22. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, डी0–63, श्री कृष्णापुरी, पटना।
23. प्रबंधक, (तकनीकी), पी0आई0यू0, एन0एच0ए0आई0, दरभंगा।

30/9/13

(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19/11–2402/पटना, दिनांक–30/09/2013

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं विभागीय बेव साइट मे यथा स्थान शीघ्र प्रकाशनार्थ।

30/9/13

(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

ज्ञापांकः–14/डी.एल.ए. बैठक (जि0भू0अ0पदा0 कार्यवाही)–19/11–2402/पटना, दिनांक–30/09/2013

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

30/9/13

(देवेन्द्र कुमार वर्मा)
निदेशक, भू–अर्जन।

परियोजनावार/जिलावार लंबित मामलों की सूची।

क्र0	परियोजना का नाम	जिला का नाम	लंबित प्रस्ताव/मामला	दिये गये निदेश
1	पिपराही घाट पुल	शिवहर	दखल–कब्जा लंबित।	एक सप्ताह में दखल–कब्जा देने का निदेश।
2	पावरग्रीड सब स्टेशन, मौजा–चन्दनपट्टी	दरभंगा	प्राक्कलन प्रस्ताव पृच्छाधीन (पत्रांक–635/27.02.13)	एक सप्ताह में संशोधित प्राक्कलन प्रस्ताव भेजने का निदेश।
3	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, मौजा–जाले एवं जमालपुर	दरभंगा	धारा–7/17(1) अप्राप्त। (धारा–4/6–28.06.13)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
4	पावर सब स्टेशन, मौजा–समेआ	पटना	धारा–7/17(1) अप्राप्त। (धारा–4/6–28.06.13)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
5	ग्रिड सब स्टेशन, मौजा–रौताखेम	सहरसा	प्राक्कलन प्रस्ताव पृच्छाधीन (पत्रांक–830/13.03.13)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
6	पीरपैंती थर्मल पावर, मौजा–हरिणकोल (रकवा–11.75 एकड़)	भागलपुर	दखल–कब्जा लंबित (धारा–7/17(1)–1159/26.04.13)	एक सप्ताह में दखल–कब्जा देने का निदेश।
7	पीरपैंती थर्मल पावर, मौजा–मुण्डवा उर्फ तुण्डवा (रकवा–99.64 एकड़)	भागलपुर	प्राक्कलन प्रस्ताव पृच्छाधीन (228/24.01.13)	एक सप्ताह में प्राक्कलन प्रस्ताव भेजने का निदेश।
8	एस0एच0–87, मौजा–देवनाबुजुर्ग एवं चैनपुर	सीतामढ़ी	4/6 का प्रस्ताव पृच्छाधीन (अर्जन में सरकारी भूमि सम्मिलित)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
9	पावर सब स्टेशन, मौजा–कुट्टी एवं बरमसिया	किशनगंज	दखल–कब्जा लंबित (धारा–7/17(1)–1202/07.05.13)	एक सप्ताह में दखल–कब्जा देने का निदेश।
10	आमगोला रेवले उपरी पुल, सर्वे वार्ड सं0–24	मुजफ्फरपुर	दर निर्धारण में पृच्छा (788/08.03.13)	एक सप्ताह में प्रतिवेदन भेजने का निदेश।
11	काँटी थर्मल पावर न्यू एस डाईक पाईप लाईन निर्माण, मौजा–कसवा काँटी, चादर नं0–5	मुजफ्फरपुर	दर निर्धारण में पृच्छा। (2970/18.12.12)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
12	विद्युत उपकेन्द्र, मौजा–कुमारखंड	मधेपुरा	धारा–7/17(1) अप्राप्त। (4/6–1187/29.04.13)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
13	ग्रिड उपकेन्द्र, मौजा–अहियापुर	शेखपुरा	दर निर्धारण में पृच्छा। (1337/23.05.13)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
14	भारत–नेपाल सीमा पथ, मौजा–पचटकीराम	सीतामढ़ी	धारा–4/6–पृच्छाधीन। (2032/21.08.13)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।
15	सम्पर्क सड़क (कुल प्रस्ताव की संख्या–7)	शिवहर	धारा–7/17(1) अप्राप्त। (4/6–जून–13)	एक सप्ताह में प्रस्ताव भेजने का निदेश।

16	पटना जिलान्तर्गत बिहटा–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78	पटना	4/6 का 2 प्रस्ताव पृच्छाधीन। 7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।	
17	नालंदा जिलान्तर्गत चण्डी–सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0–78	नालंदा	7/17(1) का 1 प्रस्ताव अप्राप्त।	
18	बक्सर जिलान्तर्गत थाना भवन	बक्सर	7/17(1) का 1 प्रस्ताव अप्राप्त।	
19	छितौनी–तमकुही नई रेल लाईन	पश्चिम चम्पारण	7/17(1) का प्रस्ताव अप्राप्त।	
20	हाजीपुर–सुगौली नई रेल लाईन	मोतिहारी	4/6 का 4 प्रस्ताव पृच्छाधीन।	
21	मुजफ्फरपुर–हाजीपुर नई रेल लाईन	मुजफ्फरपुर	7/17(1) का 2 प्रस्ताव अप्राप्त।	
22	रेल लाईन निर्माण	खगड़िया	4/6 का 1 प्रस्ताव पृच्छाधीन।	
23	राज्य उच्च पथ सं0–83	नवादा	7/17(1) का 14 प्रस्ताव अप्राप्त।	
24	एस0एस0बी0, सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	पत्रांक–2266, दिनांक–13.09.13 प्राक्कलन में पृच्छा दर निर्धारण में त्रुटि।	
25	काँवरिया पथ, भागलपुर धाँधी बेलारी	भागलपुर	पृच्छा, पत्रांक–1147/22.05.12 प्राक्कलन में पृच्छा दर निर्धारण में त्रुटि।	
26	विजयघाट कोशी पुल मौजा–लुकमानपुर	भागलपुर	4/6 में पृच्छा। खतियान नहीं है, खेसरा पंजी में त्रुटि है। 2140/03.09.13	
27	एस0एस0बी0 कैम्प, मधुबनी मौजा–करमेघ	मधुबनी	4/6 पृच्छाधीन। पत्रांक–1444/03.06.13 अनाबाद बिहार सरकार भूमि	
28	एस0एस0बी0, मधुबनी मौजा–महथा	मधुबनी	4/6 पृच्छाधीन। पत्रांक–207, दि0–23.01.13 अनाबाद बिहार सरकार भूमि	
29	देवघर–सुल्तानगंज (II) रेल मौजा–महाराजगंज धारा–6–3052/26.12.12	बाँका	7/17 अप्राप्त।	
30	बाँका–बाराहाट (आम भूमि रेल) मौजा–न0 बाँका, वार्ड–8, चादर–13 धारा–6–405/14.02.12	बाँका	7/17 अप्राप्त।	
31	देवघर–सुल्तानगंज (आम) रेल मौजा–कटोरिया, रकवा–0.29 धारा–6–874, दि0–18.03.13	बाँका	7/17 अप्राप्त।	
32	वरूणापुल से रसियारी पथ (SH-88) मौजा–पाली (6/13), सिसौनी (3/13)	दरभंगा	7/17 लंबित।	

33	वरूणापुल से रसियारी पथ (SH-88) मौजा–कोदरिया (5/13), वाजिदपुर बमैथा (5/13), मोहम्मदपुर सकड़ा (5/13), बेलसण्डी डीह (5/13), शहवाजपुर (6/13), सिधिया बुजुर्ग (6/13)	समस्तीपुर	7/17 लंबित।	
34	ताजपुर में गंगा नदी पर पुल (SH-31) मौजा–चकसाहो, चादर नं0–1 मौजा–हरपुरभिण्डी, चादर नं0–2	समस्तीपुर	4/6 त्रुटिपूर्ण 426/11.02.13 7/17 अप्राप्त।	
35	छपरा–महम्मदपुर पथ चौड़ीकरण हेतु मौजा–बसहाँ	गोपालगंज	4/6 में पृच्छा।	4/6 में पृच्छा।
36	छपरा–महम्मदपुर पथ चौड़ीकरण हेतु मौजा–सिरसा	गोपालगंज	4/6 में पृच्छा।	4/6 में पृच्छा।
37	छपरा–महम्मदपुर पथ चौड़ीकरण हेतु मौजा–दिघवा, चादर नं0–3	गोपालगंज	4/6 में पृच्छा।	4/6 में पृच्छा।
38	गंडक नदी पर पुल मौजा–रामपुर टेंगराही, रकवा–17.36	गोपालगंज	4/6 में पृच्छा।	4/6 में पृच्छा।
39	गंडक नदी पर पुल मौजा–गमहरिया	गोपालगंज	4/6 में पृच्छा।	4/6 में पृच्छा।